



नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

राजधानी परिसर, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.) - 492002

फोन : 0771-2511500, फॅक्स : 0771-2511400, ई-मेल ceo@nayaraiipur.com

केवियट की सूचना

दिनांक : 26.11.2014

नया रायपुर क्षेत्र के ग्राम-छतौना, नवागांव(खु.), सेंध, रीको, चीचा, कयाबांधा, कोटराभाठा, झांझ, तूता, उपरवारा, खपरी, नवागांव(ख.), खंडवा, राखी, परसदा, पलौद, बरौदा, कोटनी, तांदुल, कुहेरा, तेन्दुआ, पौता, चेरिया, बंजारी, मुड़पार, पचेड़ा, कुरु, रमचंडी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, उमरिया, नकटी, धरमपुरा, टेमरी, बनरसी, माना, निमोरा, बेन्द्री, परसट्टी, केंद्री, झांकी में स्थित कृषकों की निजी भूमि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आपसी सहमति अथवा भू-अर्जन अधिनियम 1894 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत क्रय / अधिग्रहित किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विरुद्ध कुछ व्यक्ति अथवा उनकी समिति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में वाद दायर कर सकते हैं। नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में केवियट दायर किया जा रहा है। इस आम सूचना के माध्यम से सूचना दी जाती है कि जो कोई नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के विरुद्ध वाद दायर करेगा, उसके पूर्व अधोलिखित अधिवक्ता अथवा इस कार्यालय के पते पर रिट याचिका की प्रति देना अनिवार्य होगा।

कार्यालय पता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एन.आर.डी.ए., केपिटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19,
नया रायपुर (छ.ग.), फोन : 0771-2511500

अधिवक्ता

श्री सुमेश बजाज

A-3, बाबजी नगर, तिफरा
बिलासपुर, मो.नं.-9300326000